अध्याय– प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना

1.2 स्वतंत्र पूर्व भारत में स्त्री शिक्षा

1.3. स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा

1.4 सर्व शिक्षा अभियान एवं बालिका शिक्षा

1.5 कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना एवं बालिका शिक्षा

1.6 राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा 2005 एवं बालिका शिक्षा

1.7 समस्या कथन

1.8 शोध की आवश्यकता

1.9 शोध के उद्देश्य

1.10 शोध की परिकल्पनाएँ

1.11 शोध में प्रयुक्त पदों की परिभाषाएँ

1.12 शोध की सीमाएँ एवं सीमांकन

अध्याय– प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना

व्यक्ति, समाज, एवं राष्ट्र विकास में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है शिक्षा से व्यक्ति में संवेदनशीलता एवं वास्तविक मानवीय वर्तन का निर्माण होता है। शिक्षा प्राप्त करना केवल पुरूष का ही अधिकार नहीं वरन स्त्री को भी यह अधिकार है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से शिक्षा विषयक प्रवृत्ति को यदि देखा जाये तो शिक्षा विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट जाति विशिष्ट लिंग पर आधारित रहीं है। जिसका प्रभाव आज भी हमारी समाज व्यवस्था पर छाया हुआ है। जो कि लिंग आधारित शिक्षा विषयक मतभेद को प्रस्तुत करता है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति, लिंग या जाति का नहीं वह सभी मानव का अधिकार है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिये इसके लिये महात्मा ज्योतिराव फूले, सवित्रीबाई फूले, राजर्षि शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहाब आंबेडकर, महात्मा गांधी, महर्षि धोंडो केशव कर्वे आदि समाज सुधारकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा और प्रतिकूल सामाजिक व्यवस्था में भी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है। वैदिक काल में स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन मध्य युग में स्त्री शिक्षा को नकारा गया है। बौद्ध, जैन आदि. धर्म में स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया है। ब्रिटिश शासन काल में 1813 में चार्टर्ड एक्ट द्वारा भारतीय शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा, लेकिन इसमें स्त्री शिक्षा का उल्लेख नहीं मिलता सन 1954 वुड्स डिस्पैच में स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में शिक्षा को सम्मिलित किया गया, जिससे कि स्त्री शिक्षा के संबंध में पूर्व निर्मित असमानता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गये है। जिससे स्त्री शिक्षा का प्रतिशत प्रमाण बड रहा हैं, लेकिन जिस प्रमाण में पुरूषों की साक्षरता एवं विकास में वृद्धि हुई उसकी तुलना में स्त्री शिक्षा एवं विकास की मात्रा कम ही है। तथा देश के विभिन्न क्षेत्र में भी इसमे भिन्नता पायी जाती है। 2001 के अनुसार आदिवासी क्षेत्र में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत 34.76 तथा पुरूष साक्षरता का प्रतिशत प्रमाण 59.17 था। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत प्रमाण 46.70 एवं पुरूष साक्षरता का प्रतीशत प्रमाण 71.40 था। शहरी क्षेत्र में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत प्रमाण 73.20 एवं पुरूष साक्षरता का प्रतिशत प्रमाण 86.70 था। इससे स्पष्ट होता है, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 63 साल पश्चात् भी स्त्री पुरूष शिक्षा के प्रमाण में काफी अधिक अंतर देखने को मिल रहा है। वर्तमान में स्त्री हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ–साथ कार्य कर रही। स्त्री शिक्षा में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन यह वृद्धि केवल नगरीय क्षेत्र में हमे देखने को मिलती है। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र आज भी स्त्री शिक्षा के प्रति उपेक्षणीय प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे है। आज भी स्त्री का क्षेत्र घर तक ही सीमित रखा जा रहा हैं। शिक्षा के सबंध में लडका एवं लडकी यह अंतर करके शिक्षा से लड़कियों को दूर रखा जा रहा है, या तो नाममात्र निःशुल्क शिक्षा स्थानों पर उन्हें भेजा जाता है। उस लड़की की शिक्षा प्राप्त करने की कितनी भी इच्छा हो, उसके शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग मे पारीवारिक, सामाजिक, बाधाएँ उत्पन्न होती है या तो कि जाती है। तथा लडके को शिक्षा प्राप्त करने के लिये सदा प्रोत्साहित किया जाता है चाहे उसकी शिक्षा प्राप्त करने कि इच्छा हो या ना हो। शिक्षा विषयक सुविधाओं के संन्दर्भ में भी लड़का एवं लड़की यह लिंग आधारित पक्षपातपूर्ण व्यवहार हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार उच्च

शिक्षा हेतु प्रोत्साहन, गांव या निवास स्थान से बाहर शिक्षा प्राप्त करने की अनुमती, विद्यालय, अभ्यासक्रम चयन के क्षेत्र में भी लड़का एवं लड़की ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित होता है। चाहे उनके अभिभावक शिक्षित हो या अशिक्षित, शहरी हो या ग्रामीण, यह पक्षपात समाज व्यवस्था मे दिखाई देता है।

लड़कियों की शिक्षा के लिए केवल पुरूष वर्ग का ही नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपितु स्त्री वर्ग भी लड़कियों की शिक्षा को लड़को की अपेक्षा कम महत्व देती है। इस समाज विरोधी प्रवृत्ति के लिए विभिन्न तत्व आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सक्रिय है। जो कि स्त्री शिक्षा को निरुत्साही कर रहे है। अतः शिक्षा विकास हेतु हो रहे विभिन्न प्रयासों के पश्चात तथा सभी क्षेत्रों में विद्यालयीन सुविधाओं की स्थापना, सर्व शिक्षा अभियान जैसे राष्ट्रीय शिक्षा विषयक कार्यक्रमों से तथा शिक्षा का अधिकार 2009 आदी प्रयासों के पश्चात् अभिभावकों की लड़कियों की शिक्षा के प्रति जो परम्परागत विचारप्रणाली थी उसमें सुधार हुआ है? और यदि सुधार हुआ हैं, तो समानता के आधार पर आदिवासी क्षेत्र के अभिभावक (माता–पिता) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावक (माता–पिता) का अपनी लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण मे क्या अंतर है? इसका अध्ययन करना आवश्यक है। तात्पर्य स्त्री शिक्षा के संदर्भ में कितनी भी योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वय किया जाएं लेकिन जब तक अभिभावकों की अपनी लड़कियों की शिक्षा के प्रति सोच, या परम्परावादी दृष्टिकोण जब तक परिवर्तीत नहीं होता, स्त्री शिक्षा विषयक योजना के अपेक्षित उद्‌देश्यो की पूर्ति होना सम्भव नही है। अंतः अभिभावको का अपनी लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना अति आवश्यक है।

1.2 स्वतंत्रपुर्व काल मे स्त्री शिक्षां

प्राचीन काल जिसे हम वैदिक काल भी कहते है, में शिक्षा सर्वसुलभ थी। स्त्री एवं पुरूष दोनों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त था। प्राचीन काल की कई विदुषी महिलाएँ जैसे, मैत्री, लोपा, मुद्रा, गार्गी के नाम उल्लेखनीय है जो शास्त्रों की ज्ञाता थी।

1.2.1 बौद्ध काल

बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा ने नवीन आयाम प्राप्त किए। इस युग में नारी शिक्षा को उचित रूप में नियोजित किया गया था। स्त्रीयों को संघ मे प्रवेश करने एवं रूचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इस काल में विदुषी महिलाएँ संघमित्रा, शुभा, अनुपमा, सुमेघा थी तथा विजयकां को कालिदास के बराबर कवित्व प्रतिभा वाली माना जाता था।

1.2.2 मध्यकाल

इस काल में स्त्री शिक्षा मे असमानता व्याप्त होने लगी थी किन्तु उच्च वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा सुलभ थी। इसी कारण कुछ महिलाएँ जैसे गुलबदन बेगम, रजिया सुल्तान, नूरजहॉ, जहॉआरा, बेगम सलिमा सुल्ताना, का नाम विदूषी महिलाओं में लिया जाता है।

1.2.3 ब्रिटिश काल

ब्रिटिश काल में मिशनरियों ने बालिका विद्यालय खोले एवं महान भारतीय समाज सुधारक जैसे, राजाराम मोहन राय, पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा की दयनीय स्थिति में सुधार के प्रयास किए। मिस मेरी कारपेन्टर अंग्रेज समाज सुधारिका के प्रयासों से सन् 1870 में महिला प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रथम प्रशिक्षण महाविद्यालय खोला गया। भारतीय शिक्षा आयोग (1882–83) के अंतर्गत बालिकाओं के

लिए विद्यालय खोले गए। सन् 1961 में महर्षि करवे द्वारा बंबई में एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय खोला गया। इस काल में महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई। सन् 1946–47 में लड़कियों के लिए 21479 प्राइमरी स्कूल, 2370 सैकण्डरी स्कूल, 42288 व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थाएँ, 59 आर्टस एवं विज्ञान महाविद्यालय शिक्षण संस्थाएँ थी।

1.3 स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा

15 अगस्त 1947 को भारत स्वातंत्र हुआ, स्वातंत्र प्राप्ति के पश्चात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाएं गये जिसका विवेचन निम्न प्रकार से दिया जा रहा है।

1.3.1 स्त्री शिक्षा एवं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49)

डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित इस शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर बल दिया है। इसमें बताया गया है कि, स्त्री शिक्षा के बिना लोग शिक्षित नहीं हो सकते यदि शिक्षा को पुरूषों अथवा स्त्रियों के लिए सीमित करना है तो, यह अवसर स्त्रियों को दिया जाएं क्योंकि उनके द्वारा ही भावी संतान को शिक्षा दी जा सकती है। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के संदर्भ में महत्वपुर्ण सुझाव दिये है–

स्त्रियों को पुरूषों के समान शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने चाहिये एवं उनकी शिक्षा में समानता होनी चाहिये परंतु स्त्री को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि, वह अच्छी माता और अच्छी गृहिणी बने विश्वविद्यालयीन शिक्षा में जो सुविधाएँ प्रारंभ में लड़को को दी गई थी, वह लड़कियों को भी उपलब्ध कराई जायेगी तथा स्त्री शिक्षा को निरंतर बढावा दिया जायेगा। शिक्षा निर्देशन इस प्रकार किया जाय कि लड़कियाँ गृहविज्ञान विषय के प्रति उदासीन न रहे। सहशिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जायेगी एवं उसमें स्त्री–पुरूषों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाय।

1.3.2 भारतीय संविधान एवं स्त्री शिक्षा

भारतीय संविधान में स्त्री शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुच्छेद 14 एवं 15 समानता के अधिकार के संदर्भ में है। उसके अन्तर्गत देश के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जायेगा। तथा धर्म, मूलवंश, जाति लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 16 अवसरो की समानता से संबंधित है जिसमें देश के किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाती, मुलवंश के आधार पर विभेद नहीं किया जायेगा। सभी व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जायेगे। तथा लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जायेगा। तथा महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण आदि महत्वपूर्ण प्रावधान स्त्री शिक्षा के संदर्भ में है।

इन महत्वपूर्ण प्रावधानो के पश्चात भी वर्तमान सामाजीक व्यवस्था मे स्त्री शिक्षा के संबध मे काफी सामाजिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है।

1.3.3 माध्यमिक शिक्षा आयोग एवं स्त्री शिक्षा (1952–53)

लक्ष्मण स्वामी मुदलीयार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। आयोग की स्त्री शिक्षा के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ प्रस्तुत की है।

पुरूषों के लिए जिस प्रकार की शिक्षा आवश्यक है उस प्रकार की शिक्षा महिलाओं के लिए भी हो। स्त्री शिक्षा में गृहविज्ञान विषय को महत्वपूर्ण माना गया है। सहशिक्षा वाले स्कूल के साथ साथ लड़कियों के लिए पृथक स्कूल खोले जायेगे एवं उनमें स्टाफ दोनों वर्गों के होगे। जनतांत्रिक समाज व्यवस्था में सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए दोनों लिंगो को समान समझा जायेंगा।

1.3.4 राष्ट्रीय शिक्षा समिति एवं स्त्री शिक्षा (1958–59)

भारत सरकार द्वारा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिये इस समिती की नियुक्ति की गयी इस समिति की संस्तुतियॉ निम्न प्रकार से है।

कुछ वर्षो तक स्त्री शिक्षा को समस्या मानकर उसके विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाएं जायेगे। स्त्री शिक्षा के विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर स्त्री शिक्षा हेतु राष्ट्रीय परिषदों की स्थापना की जायेगी एवं लड़कियों को मुफ्त में किताबे और पोषाक दिये जायेगे तथा अच्छी उपस्थिति के लिये लड़कियों को छात्रवृत्तियॉ दी जायेगी, आदि महत्वपूर्ण प्रावधान इस समिति ने किये गये है।

1.3.5 हंसा मेहता समिति (1962)

राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद ने विभिन्न स्तरों पर लड़कियों के पाठ्यक्रम की समस्या का अध्ययन करने के लिए श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, इस समिति ने निम्न संस्तुतियॉ प्रस्तुत की है।

लड़के एवं लड़कियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रमों की भिन्नता को कम करके लड़के एवं लड़कियों को व्यक्तित्व विकास के समान अवसर प्रदान किए जायेगे। शिक्षा में फैली लिंग विषयक असमानता को समाप्त किया जायेगा एवं लिंगभेद के संदर्भ में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करके एक दूसरे के प्रति उचित भावना का विकास किया जायेगा। सहशिक्षा प्रणाली का प्रचार प्रसार किया जाय तथा आवश्यकता नुसार लड़कियों के लिए पृथक संस्थाओ की स्थापना जाये। गणतांत्रिक और समाजवादी समाज में शिक्षा का रूप वैयक्तिक योग्यता, भाव और अभिरूचि पर निर्भर होगा इसका लिंग से कोई संबंध नहीं है। आदि महत्वपुर्ण संस्तुतियॉ इस समिति ने प्रस्तुत की है।

1.3.6 भक्तवत्सलम समिति (1963)

राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद के सभापति ने मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री श्री एम. भक्तवत्सलम की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया। इस समिति को ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों की शिक्षा के विकास के लिए जन–सहयोग प्राप्त करने और सुझाव देने का कार्य सौपा गया। इस समिति ने निम्न संस्तुतियॉ प्रस्तुत कि है।

ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा के विकास हेतु स्थानीय जनता का प्रत्यक्ष सहयोग लिया जायेगा एवं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाये जिससे की प्राईवेट स्कूलों की स्थापना एवं स्कूल भवन का निर्माण हो सके। राज्य सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए जनमत बनाने के लिए स्कूल सुधार सम्मेलन, संगोष्टियों का आयोजन, रेडियो वार्तालाप, एवं छात्र नामांकन आदि कार्यक्रमो का प्रसार प्रचार, तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं की सहायता की जायं। सभी स्थानों पर स्कूल की स्थापना की जायेगी, तीन सौ की आबादी वाले क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल का निर्माण हो, पहाडी एवं आदिवासी क्षेत्र में तीन सौ से कम आबादी रहने पर भी स्कूल स्थापित किए जायं तथा माध्यमिक स्कूल का आयोजन भी किया जायं। ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक स्कूल का सबंध प्राथमिक स्कूल से होना आवयश्क है, जिससे स्कूल के संदर्भ में बच्चों को आदत पड जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों के लिए छात्रावास की स्थापना की जाये तथा छात्रावास सहित स्कूल निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में ऐच्छिक विषयों की व्यवस्था की जायेगी। आदी महत्वपूर्ण संस्तुतियॉ इस समिति ने प्रस्तुत की है।

1.3.7 शिक्षा आयोग एवं स्त्री शिक्षा (1964–66)

संपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र का विकास करने में विभिन्न आयोगों एवं समितियों का निर्माण किया गया लेकिन संपूर्ण शिक्षा के ढांचे की समीक्षा नहीं हो सकी इसी इसके

लिये 1964 में भारत सरकार ने डॉ. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया जिसमें स्त्री शिक्षा के लिए निम्न संस्तुतियां प्रस्तुत की है।

स्त्री शिक्षा को शिक्षा का एक बडा कार्यकम माना जायेगा तथा लड़के एवं लड़कियों की शिक्षा में निर्माण हुए अंतर को कम करने हेतु साहस पूर्ण प्रयास किए जायेगे। स्त्री शिक्षा के कार्यक्रमों के आयोजन एवं कियान्वयन में सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्तियों को एक जगह लाया जायेगा सभी क्षेत्रों में और सभी स्तरों पर लड़कियो की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा। स्त्रियों के प्रशिक्षण एवं रोजगार की समस्या पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। लड़कियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था एवं छात्रवृत्ति कार्यक्रम विकसित किया जायेगा। कला,मानविकी विज्ञान, शिल्प आदि, पाठ्यकमों में लड़कियों को मुक्त प्रवेश दिया जाएं महिला शिक्षा पर काम करने के लिए विश्वविद्यालय में शोध संस्थानों की स्थापना की जायेगी, आदि महत्वपुर्ण संस्तुतियॉ इस समितिने प्रस्तुत की है।

1.3.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं स्त्री शिक्षा (1986)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग चार में नारी शिक्षा के संबंध में निम्न बातों का उल्लेख है। स्त्री के बुनियादी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए एवं अतीत से चलती आ रही विकृती को खत्म करने के लिए शिक्षा का एक साधन के रूप में प्रयोग किया जायेगा तथा महीलाओं को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए ठोस भूमिका निभाई जायेगी। स्त्रीयो से संबंधित अध्ययनों को विभिन्न पाठयकमों के अंतर्गत प्रोत्साहन देकर महिलाओं की निरक्षरता एवं उनके विकास के मध्य आने वाली रूकावटों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर जोर देकर एवं लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म किया जायेगा।

1.3.9. राष्ट्रीय आयोग एवं स्त्री शिक्षा (1987–88)

निजी काम मे लगी महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ में भारत सरकार ने आर. भट्ट की अध्ययक्षता में राष्ट्रिय आयोग की नियुक्ति की इस आयोग की स्त्री शिक्षा विषयक संस्तुतियॉ निम्नानुसार है।

लड़कियों द्वारा किये जानेवाले गृहकार्य को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा के लिए कक्षायें उपयुक्त समय पर लगाई जाये। लड़कियों को स्कूल के प्रति आकर्षण निर्माण होने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ विदयालय मे उपलब्ध की जायं जिससे कि, विद्यालय के प्रति उनके मन मे सकारात्मक विचारधारा उत्पन्न हो सके। लड़कियों के लिये उचित व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया जायेगा जिससे कि, वह स्वावलंबी हो सके आदि महत्वपुर्ण संस्तुतियॉ इस समितिने प्रस्तुत की है।

1.3.10 राष्ट्रीय योजना एवं स्त्री शिक्षा (1988)

भारत सरकार के महिला, युवा तथा खेलकुद मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय योजना का निर्मान किया गया इसके मुख्य लक्ष्य इस प्रकार थे।

छ से चौदह वर्ष के लड़कियों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना तथा लड़कियों व्द्ारा पढाई बीच में छोडने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये स्त्री निरक्षरता की समस्या को कम किया जायेगा जिसके लिये स्त्री साक्षरता का प्रमाण बढाने हेतु सक्रिय कदम उठाये जायेगें। महिलाओं के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जायेगे जिससे की वह स्वयंनिर्भर हो सके। स्त्री शिक्षा मे बाधक तत्वों को दूर करके स्त्रियों के प्रति उचित लिंग दृष्टिकोण का विकास किया जायेगा। उच्च शिक्षा में स्त्री शिक्षा का सहभाग बढाने हेतु स्त्रीयों के लिये तिस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी। आदी महत्वपुर्ण प्रयास इस योजना मे किये गये है।

1.3.11 राष्ट्रीय शिक्षा की समीक्षा समिति एवं स्त्री शिक्षा (1990)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने हेतु शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समीक्षा समिति का गठन किया। समिति ने स्त्री शिक्षा के संबंध में निम्न संस्तुतियां प्रस्तुत की है।

देहातों में लड़कियों की शिक्षा की समस्या पानी, इंधन एवं चारे से संबंधित होती है। लड़कियों का अधिकांश समय इसमें ही व्यतीत होता है। यह समस्या दूर करने के लिए व्यावहारिक योजना का कार्यान्वन किया जाना चाहिएं। लड़कियों की शिक्षा पर उनके भाई बहनों की देखभाल का महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है, इस समस्या को दूर करने हेतु बच्चों के देखभाल के लिये विशेष कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिएं, जिससे की लड़कियॉ अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। लड़कियों की शिक्षा में फैली क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये स्त्री शिक्षा के लिए कार्यन्वित रणनीति मे शैक्षिक दृष्टि से पिछडे जिलों को प्राथमिकता देनी होगी। लड़के एवं लड़कियों की पाठयचर्या में किसी प्रकार का अंतर न हो जिससे की लिंग आधारित पक्षपात को बढावा न मिले। जिसके लिये पाठय पुस्तको में स्त्री संबंधी विवरण को उचित स्थान दिया जायें। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र के सभी संचार माध्यमों द्वारा लिंग संबधि समानता और महिला शिक्षा का प्रसार प्रचार किया जायें। स्त्रियों के स्वालंबन हेतु व्यावसायिक शिक्षा विषयक प्रशिक्षण योजना बनाई जायं एवं उसे राज्य स्तर पर कार्यान्वीत किया जाये। स्त्री शिक्षा के विकास हेतु सभी विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों में महिला अध्ययन केन्द्र संगठित किये जाये। प्राइमरी, मीडिल और हाईस्कूल मे महिला शिक्षकों का अनुपात बढाकर पचास प्रतिशत कर देना चाहिए।

1.3.12 कार्य योजना 1992 तथा स्त्री शिक्षा

1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 39.42 थी जबकि पुरूष साक्षरता दर 63.86 प्रतिशत थी। शहरी महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण महिलाओं में निरक्षतर अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम कक्षा में 100 लडकिया का दाखिला होता था, उसमे से कक्षा 12वीं तक केवल 1 रहती थी, जबकि शहरी क्षेत्र में यह प्रमाण 14 था, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों का प्रमाण शहरी क्षेत्र की लड़कियों की अपेक्षा कम था। इस असमानता को कम करने के लिए कार्य योजना में बल दिया गया है।

- सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार तैयार किया जायेगा जिससे की महिलाओं को अधिकार प्रदान किया जा सके। जिसके लिए शिक्षा को एक सशक्त साधन बनाया जायेगा जिसके प्रमुख घटक निम्न होगे।
- महिलाओं का आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढाना, समाज राजनीति तथा अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को मान्यता प्रदान करके महिलाओं की छबि बनाना।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सूचना, ज्ञान, एवं कौशल्य प्रदान करना।
- शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ आदि क्षेत्रों की महिलाओं को जानकारी प्रदान करना।
- समाज में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी जानकारी को बढावा देना जिससे की सभी क्षेत्रों में उनकी सहभागिता बढायी जा सके।
- महिलाओं का स्तर बढाने और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विकास हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

- महिला एवं पुरूषों में भेदभाव के पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए लड़कियों के सभी स्कूलों में विज्ञान एवं गणित की पढाई प्रारंभ करके उसे सुदृढ़ बनाया जायेगा। तथा लड़कियों के स्कूलों में अध्यापिकाओं की कमी को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएँगे।

- तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के प्रवेश के लिए महिला आई.टी.आय. पॉलिटेक्निक और आई.टी.आई. व्दारा महिला खण्डों को सशक्त बनाया जायेगा जिससे कि विषय क्षेत्र में वैविध्य लाया जा सके।

- महिलाओं एवं लड़कियों के लिए समान अवसर उपलब्ध करने हेतु जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जायेगा।

1.4. सर्व शिक्षा अभियान एवं बालिका शिक्षा

बालिका शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख क्षेत्र है। सर्व शिक्षा अभियान के आधीन सभी क्रियाकलापों में लिंग विषयक समस्याओं को समाप्त करने के लिये प्रयास किये जा रहे है। बस्ती, गॉव, शहरी बस्ती, में प्राथमिक स्कूल के रूप में स्तरोंन्नयन, मध्यांहन भोजन, पोषाक, छात्रवृत्तियों जैसे प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमो तथा लेखन सामग्री जैसे शैक्षिक प्रावधान निर्धारित किये गये है। सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा हेतु निम्न कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है –

1. बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियॉ, पाठ्यपुस्तक, लेखन सामग्री, मध्याह्न भोजन पोषाक आदी प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमो का कार्यान्वियन किया जा रहा है।
2. कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक क्रियाकलाप का मूल्यांकन लैगिक घटक के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा।

3. अनुसूचित जाती एवं जनजाति की महिलाओं के मध्य न्यून साक्षरता के तत्वों को ध्यान में रखा जायेगा।

4. बालिकाओं को शिक्षा के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष शिबिरों तथा सेतु पाठयक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

5. बालिकाओं के लिए वैकल्पिक स्कूल के विशेष मॉडल को स्थापित किया गया।

6. माता–पिता को अपने लड़कियों की नियमित उपस्थिति के लिए अभिप्रेरित करने में समुदाय की सहभागिता उच्चस्तरीय रही है।

7. बालिकाओं को शिक्षा के मुख्य धारा में शामिल करने के अलावा अभिप्रेरणा और महिला समाख्या, किशोर बालिकाओं के लिए वापिस स्कूल चलो शिविरों का आयोजन आदि प्रयास किये जा रहे है।

8. स्कूल के प्रबंध में सहभागितापूर्ण प्रक्रियाओं के जरिये महिलाओं को सम्मिलित करने की भी आवश्यता महसूस की गई है।

9. लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में एक स्पष्ट परिपेक्ष की आवश्यकता है। बालिकाओं की शिक्षा का प्रावधान स्थानिय स्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए। तथा बालिकाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं और शिक्षा को उनके जीवन के लिए प्रासंगीक बनाये जाने की ओर ध्यान दिया जाये।

1.5 कस्तुरबा गांधी विद्यालय योजना एवं बालिका शिक्षा

भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय विद्यालय स्थापना के उद्देश्य से कस्तुरबा गांधी बालिका

विद्यालय की स्थापना की गई 2007 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित किया गया इस योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार से है।

1. पिछडी जाती की लड़कियों को आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
2. लड़कियों के माता–पिता में लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता निर्माण करना।
3. स्थानांतरीत परिवार की बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान केद्रित करना।
4. लड़कियों का नामांकन बढाना जो कि पिछडी जाति एवं निम्न आय वर्ग से है।

1.6 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा– 2005

बालिका शिक्षा तथा ढांचागत सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित उल्लेख मिलता है।

समानता के व्यवहार या लड़कियों के लिए समान अवसर के संबंध में औपचारिक दृष्टिकोण अपर्याप्त है। आज एक कारगर दृष्टिकोण अपनाएँ जाने की जरूरत है, ताकि परिणामों में समानता आये और जिसमें विविधता, विभेद और असुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए।

समानता की दिशा में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका यह समझी जाती है कि यह सभी शिक्षार्थियों को अपने अधिकारों की दिशा में सजग बनाए ताकि वे समाज तथा राजनीति में अपना योगदान कर सके। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि, उन अधिकारों और सुविधाओं को तब तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक केन्द्रिय मानवीय क्षमताओं का विकास न हो जाए। इसलिए हाशिए पर ढकेल दिए गए समाज के विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों के लिए यह मुमकिन होना चाहिए कि वह अपने

अधिकारों का दावा कर सकें और सामूहिक जीवन को सक्रिय रूप देने में सक्रिय भूमिका अदा कर सके। इसके लिए शिक्षा को ऐसा होना चाहिए कि वह उनमें यह सामर्थ्य दे सके कि वे असमान समाजीकरण के नुकसान की भरपाई कर सके और अपनी क्षमताओं का इस प्रकार विकास कर सके कि वे आगे चलकर स्वायत्त और समान नागरिक बन सके।

ढांचागत सुविधाएँ शिक्षार्थियों के लिए अनुकूल स्थितियॉं बनाने व गतिविधि केन्द्रित संदर्भ उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी है। स्थान, भवन तथा फर्नीचर संबंधी नियम व मानक तय करने से गुणवत्ता की समझ भी पुष्ट होगी।

उपरोक्त योजनाओं एवं प्रयासों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का स्तर एवं बालिका शिक्षा का साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

1.7 समस्या कथन

आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण– एक तुलनात्मक अध्ययन।

1.8. शोध की आवश्यकता

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किए गये है, जिससे स्त्री की वर्तमान स्थिति में अपेक्षनीय परिवर्तन होने में सहायता हुई वर्तमान मे प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका कार्य किये जा रहे है। जिसके लिए सामाजिक जागरूकता समाज में शिक्षा का प्रसार प्रचार, संविधानात्मक अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं समज महत्वपूर्ण सही है।

लेकिन वर्तमान में जो स्त्री शिक्षा एवं स्त्रियों की स्थिति को हम देख रहे है वह स्थिति सभी स्त्रियों के संदर्भ में लागू नहीं हो सकती केवल औद्योगिकीकरण एवं

नागरीकरण की प्रकिया के अन्तर्गत जो समाज शहरी भागों में सम्मिलित हुआ है उनके संदर्भ में स्त्री शिक्षा एवं स्त्री विकास की समज विकसित हो रही है, जिससे की स्त्री विकास एवं स्त्री शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण भी दिन प्रतिदिन विकसित हो रहा है। लेकिन यह स्थिति विविधतापुर्ण भारतवर्ष के सभी क्षेत्र में नहीं है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री विकास एवं स्त्री शिक्षा के प्रति पूर्णतया अनुकूल दृष्टिकोण निर्माण नहीं हो सका केवल औपचारिक तौर पर एवं लडकियो की शिक्षा हेतु प्राप्त सुविधाओं को ध्यान में रखकर लड़कियों को विद्यालय भेजा जाता है तथा उसका औपचारिक रुप से उसका विद्यालय मे नामांकन किया जाता है। इस ग्रामीण समाज में आज भी स्त्री शिक्षा के प्रति उपेक्षणीय दृष्टिकोन रहा है। आदिवासी क्षेत्र में तो स्त्री शिक्षा एवं स्त्री विकास की संकल्पनात्मक रूपरेखा क्या है? इसका पता भी नहीं हैं। आज भी ग्रामिण एवं आदीवासी क्षेत्र मे स्त्री का क्षेत्र केवल घर तक ही सीमित है जिसके लिये स्थानीय विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक विचारधारा जिम्मेदार रही है। उसका प्रभाव आज के स्त्री शिक्षा पर भी रहा है। शहरी क्षेत्र मे नागरीकरण प्रकिया का विकास, शिक्षा प्रणाली का विकास एवं अभिभावकों की जागरुकता मे वृद्धि के कारण लड़कियो कि शिक्षा के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होने मे मदद हुई लेकिन, आज भी बहुतांश शहरी अभिभावकों लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ लिग विभेदीकरनात्मक पक्षपात करते है, यह प्रवृत्ति पिछडे वर्गो के साथ साथ उच्चं सामाजिक वर्ग वाले अभिभावकों मे भी देखने को मिलती है।

तात्पर्य, स्त्री शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न प्रयासों एवं कार्यक्रमों के पश्चात् आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण मे कितना अंतर है, तथा शहरी, ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र के साक्षर एवं निरक्षर अभिभावकों में लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कितना अंतर है।

इसकी जानकारी प्राप्त करके इस अंतर को कम करने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करने हेतु यह अध्ययन आवश्यक है जिससे, लड़कियों कि भावि शिक्षा के प्रसार प्रचार हेतु नयी दिशा प्रदान होने में मदद् होगी।

1.9. शोध के उद्‌देश्य

प्रस्तुत शोध के लिए निम्न उद्‌देश्यों का निर्धारण किया गया है।

1. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

2. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी, क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

3. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

1.10 शोध की परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए निम्न परिकल्पनाओं को निर्धारित किया गया है।

1. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का (माता–पिता) लडकि़यों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माता अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

3. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पिता अभिभावकों का लडकि़यों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

4. आदिवासी क्षेत्र के अभिभावकों का (माता–पिता) लडकि़यो की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5. ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का (माता–पिता) लडकि़यो की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

6. शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का (माता–पिता) लडकि़यों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

7. आदिवासी, ग्रामीण, एवं शहरी क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लडकि़यों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

8. आदिवासी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लडकि़यों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

9. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के साक्षर माता अभिभावकों का लडकि़यों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

10 आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निरक्षर माता अभिभावकों का लडकि़यों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

11 आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के साक्षर पिता अभिभावकों का लडकि़यों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

12 आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निरक्षर पिता अभिभावकों का लडकि़यो की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

13 आदिवासी, क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लडकियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

14 आदिवासी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लडकियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

15 ग्रामीण क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लडकियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

16 ग्रामीण क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लडकियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

17 शहरी क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लडकियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

18 शहरी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का (माता–पिता) लडकियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

1.11 शोध में प्रयुक्त पदो की संक्रियात्मक परिभाषाएँ

शोध में प्रयुक्त पदो की संक्रियात्मक परिभाषाएँ शोध की प्रकृति को ध्यान में रखकर निम्न प्रकार से निर्धारित की है।

आदिवासी क्षेत्र

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताओं से अलग दूर जंगल में रहने वाले अपनी विशेष संस्कृति से पूर्ण क्षेत्र है। जहाँ के लोगों का व्यवसाय प्रकृति पर आधारित होता है। तथा इस क्षेत्र मे ग्रामिण क्षेत्र से अधिक प्रमाण मे अज्ञान, निरक्षरता, समूह प्रथा परंपरा आदी की बहुलता से युक्त क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र कहाँ गया है।

ग्रामीण क्षेत्र

जनगणना की रिपोर्ट में 500 आबादी तक के क्षेत्र ग्रामीण माने गए है। जिन गॉवो की जनसंख्या 500 से कम है और वहॉ के अधिकांश लोग कृषि एवं कृषि से संबधित व्यवसाय से साथ साथ अन्य व्यवसाय एवं मजदूरी का कार्य करते है तथा उस जगह प्राथमिक प्रकृति के सामाजिक संबंध एवं सामाजिक नियमों की प्रबलता है। ऐसे क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र कहॉ गया है।

शहरी क्षेत्र

शहरी क्षेत्र में म्युनिसिपल तथा केन्टोनमेंन्ट बोर्ड नोटीफाइड एरिया तथा सिव्हिल लाईन कहलाने वाले ऐरिया आते है। ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो और जन घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से कम न हो तथा जिनमें रहने वाले प्रौढ़ो की संख्या का तीन चौथाई से अधिक हिस्सा कृषि के अतिरिक्त अन्य रोजगार करता हो, तात्पर्य शहरी क्षेत्र वह क्षेत्र है जहा अधिकांश व्यक्ति नौकरी तथा औद्यौगिक क्षेत्र से संबंधित कार्य, व्यवसाय तथा मजदूरी करते है। तथा वहॉ के लोगों के सामाजिक संबंध द्वितीयक प्रकृति के रहते है। उस क्षेत्र को शहरी क्षेत्र कहॉ गया है।

अभिभावक

प्रस्तुत शोध कार्य में अभिभावक उन माता एवं पिता को कहॉ गया है, जिन्होंने लडकी को जन्म दिया तथा वे दोनो लडकी का पालन पोषण कर रहे है। तात्पर्य लड़कियों का पालन पोषण की जिम्मेदारी जिन जन्मदाताओं पर है उन को प्रस्तुत शोध कार्य में अभिभावक कहा गया है।

लड़कियों की शिक्षा

प्राकृतिक आधार पर सेक्स एवं सामाजिक आधार पर लिंग जेन्डर के अनुसार मतभेद न करके औपचारिक तौर पर संविधान द्वारा निर्धारित प्रजातांत्रिक उद्देश्यों के आधार पर बालिकाओं के सर्वांगीन विकास हेतु, औपचारिक शिक्षा का कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा समानता के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा को लड़कियों की शिक्षा कहाँ गया है।

अभिभावको का दृष्टिकोण

लडकी के माता–पिता का दृष्टिकोण जो लडकी के औपचारिक शिक्षा के प्रति विशेष प्रकार का व्यवहार इंगीत करता है, यह लडकी के माता पिता की पूर्वधारणाएं रहती है या परिस्थिति के कारण निर्मित धारणाएँ हो सकती है। जो लड़कियों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक नकारात्मक या अनिश्चित ढंग से प्रतिकियाएं करवाती है। उसे अभिभावको का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण कहां गया है।

1.12 शोध की सीमाएँ एवं सीमांकन

प्रस्तुत शोध की सीमाएँ एवं सीमांकन निम्न प्रकार से है।

1. प्रस्तुत शोध कार्य में आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निवासरत एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 5,6,7 में अध्ययनरत लड़कियों के माता एवं पिता का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का ही अध्ययन किया गया है।

2. अभिभावकों के अंतर्गत लड़कियों को जन्म देने वाले माता एवं पिता को लिया गया है, जो उसका पालन–पोषण कर रहे है।

3. प्रस्तुत शोध कार्य मे चयनित अभिभावकों की साक्षरता एवं निरक्षरता को ध्यान में लेकर न्यादर्श का चयन किया गया है।

4. प्रस्तुत अध्ययन अकोला जिले की तेल्हारा तहसील में स्थित आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों तक ही सीमित है।

5. आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को देखने के लिए एक ही उपकरण का प्रयोग किया गया है।

6. प्रस्तुत अध्ययन मे न्यादर्श का चयन स्तरीकृत असमानुपातिक प्रविधि से किया गया है। जिसमें, आदिवासी, ग्रामीण एव शहरी क्षेत्र मे से समान संख्या मे माता एवं पिता का चयन किया गया है, जिससे की N समान हो।

शोध का सीमांकन

प्रस्तुत शोध का सीमांकन को निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है

1. प्रस्तुत शोध कार्य मे चयनित अभिभावकों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में नहीं लिया गया।

2. अभिभावकों में लड़कियों को जन्म देनेवाले माता पिता अभिभावकों के अतीरिक्त अन्य अभिभावकों को अध्ययन में नहीं लिया गया।

3. प्रस्तुत शोध कार्य में अभिभावकों की आयु को ध्यान में नहीं लिया गया।

4. प्रस्तुत शोध में अभिभावकों का शिक्षा स्तर को ध्यान में नहीं लिया गया। केवल साक्षर निरक्षरता विषयक स्थिति को ही ध्यान मे लिया गया है।

5. प्रस्तुत शोध ने चयनित अभिभावकों के परिवार का आकार तथा उन्हें कितने लड़के या लड़कियॉ है, इसे ध्यान में नहीं लिया गया।